बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक0–18'ए'प्रो0–01–01/2026 - 45 (18ए)　　　　स्वा0, पटना, दिनांक–22.05.2026

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के अधीन राज्य सरकार के ग्रुप ''बी,सी एव डी'' के वैसे नियमित कर्मियों को, जिन्हे अपनी वृत्ति के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन और आगामी 12 वर्षो की सेवा कुल 24 वर्षो की नियमित सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य है। यह नियमावली 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत्त है।

श्री घनश्याम कामती, सेवानिवृत्त तत्कालीन दिनचर्या लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सरकारी सेवा मे प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक–26.07.1971 है। श्री कामती की सेवा संपुष्टि की तिथि–01.02.1977 है। श्री कामती की नियुक्ति वेतनमान् 220–4–240–EB–5–290–6–315 में की गई। श्री कामती द्वारा दिनांक–26.07.1971 से 23.06.2008 तक स्वास्थ्य विभाग मे दिनचर्या लिपिक के पद पर कार्यो का निष्पादन किया गया।

तदोपरात श्री कामती को विज्ञापन सख्या–135(अ0)/1996 की अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के आदेश ज्ञापाक–1899 दिनांक–30.05.2007 द्वारा संयुक्त संवर्ग के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (तत्कालीन सहायक) के पद पर वेतनमान् 5500–175–9000 में दिनांक–24.06.2008 को नियुक्त किया गया। इस पद और वेतनमान से ही श्री कामती दिनांक–31.07.2009 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हुए।

श्री कामती द्वारा देय ए0सी0पी0 हेतु समर्पित आवेदन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्शानुसार उपरोक्त वर्णित नियमावली के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–22.04.2026 को अपराह्न 03.00 बजे आहूत बैठक में दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 क्रमशः वेतनमान् 4500–7000 एवं 5000–8000 में दिये जाने की अनुशंसा की गई।

तदालोक में श्री घनश्याम कामती, सेवानिवृत्त दिनचर्या लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (सहायक, बिहार बाल श्रमिक आयोग, बिहार, पटना के पद से सेवानिवृत्त) को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा दिनांक–22.04.2026 को अपराह्न 03.00 बजे आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के अनरूप दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 क्रमशः वेतनमान् 4500–7000 एवं 5000–8000 में अनुमान्य किया जाता है।

उक्त स्वीकृति के उपरांत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद पर तद्नुसार वेतन संरक्षण देने की कार्रवाई सचिवालय सेवा के सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

श्री कामती के उपरोक्त स्वीकृत ए0सी0पी0 एव वेतन संरक्षण के आलोक मे वेतन निर्धारण का कार्य संबंधित प्रशाखा/कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(मगन मोहन मेहरा)

सरकार के उप सचिव।

सं0सं0–18'ए'प्रो0–01–01/2026 - 45(18 ए) स्वा0, पटना, दिनांक–22.05.2026

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, (ले0एवंह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बाल श्रमिक आयोग, श्रम भवन, बेली रोड, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–05), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री घनश्याम कामती, सेवानिवृत्त दिनचर्या लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सेवानिवृत्त सहायक, बिहार बाल श्रमिक आयोग, बिहार, पटना/वर्तमान पता–मो0–विष्णुपुरी, आनद पथ, भीखा चक, नहर, पो0–अनिशाबाद, पिन कोड–800002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपरोक्त वर्णित विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्यों 1. श्री रामाशकर, अपर सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना 2 डा0 प्रणय राज सिन्हा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना 3 श्री गौतम कुमार, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहाकर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव 4. मो0 आफाक अहदमद, विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना दिनांक–22.04.2026 को आहूत बैठक के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मदन मोहन मिश्रा
22/05/26
सरकार के उप सचिव